

31.10/25

आज यह पत्रावली पेश हुई। वकूलाय पक्षकारान
उपस्थित। हमने बहस पर उभयपक्ष अधिवक्तागण
को सुनवाया। बहस पर मनन किया गया।
पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड का
मौलिकी अन्वेषण किया गया। जिससे हम इस
मतीज पर पहुँचते हैं कि आराजीयात के संबंध
में पक्षकारान के हकों का निर्धारण प्रकरण से
संबंधित दोष में साक्ष्य व सबूतों के परीक्षण के
परिचात तथा गुणावगुण के आधार पर हो
सकेगा।

ऐसी भूरत में अनावश्यक मुकदमा बाजी
नहीं बड़े एवं कारूणी पेचीदगीयां पैदा नहीं हो
इसको ध्यान में रखते हुए प्राथमिक पत्र प्राप्ति स्वीकार
किया जाता है तथा न्यायालय द्वारा जारी
शुदा अर्थात् निषेधाज्ञा दिनांक 08.10.25 को
ताफैसला मूलवाद कन्फर्म किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 31.10.25 को मेरे
द्वारा लिखाया जाकर सैर इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फेसल शुमार होकर नंबर से
कम हो, तथा संलग्न मूल वाद हो।

(राधेश्याम नीला)
उपखण्ड अधिकारी
भसावर (भरतपुर) राज०